

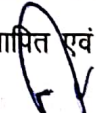
न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

अधिहरण वाद सं०-12/2008-09

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़

बनाम

श्री राजीव कुमार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
31.08.2012	आदेश यह अधिहरण वाद अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्र संख्या-10/आ०, दिनांक 12.01.2012 के द्वारा पिक आप भान सं०-जे० एच० 4ए/8958 पर लदा 53 (तिरपन) बोरा गेहूँ कुल वजन 26.50 (छब्बीस क्विंटल पचास) किलोग्राम के अधिहरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर प्रारंभ किया गया था। पूर्व उपायुक्त के द्वारा दिनांक 03.06.2009 को जब्त पिक आप भान संख्या- जे०एच० 4ए/8958 को मुक्त करने का आदेश दिया गया है। जब्त गेहूँ के दावे के संबंध में वाहन मालिक के अनुसार गेहूँ मालिक जो पश्चिम बंगाल के मुरारोई के रहने वाले है, को डाक द्वारा नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी अधिग्रहित गेहूँ के संबंध में कोई दावा न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। इससे प्रतीत है कि जब्त गेहूँ से उनका कोई लेना देना नहीं है। अतः जब्त 26.50 (छब्बीस क्विंटल पचास) किलोग्राम गेहूँ को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत अधिग्रहण करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि जब्त गेहूँ को बिक्री कराकर विक्रीत राशि कोषागार चालान द्वारा संबंधित शीर्ष में जमाकर अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं सत्यापित।  उपायुक्त, पाकुड़।  उपायुक्त, पाकुड़।	Seen 12/9/12